न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला– सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या–130/2022 प्रा.प.
उनवान

1. श्री शंकर पिता वेला बलाई (सालवी) उम्र बालिग।
2. श्री शिवराम पिता वेला बलाई (सालवी) बालिग
3. सभी निवासी डाल, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री किशनलाल पिता देवा बलाई (सालवी), उम्र बालिग, निवासी डाल, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्री मांगीलाल पिता देवा बलाई (सालवी), उम्र बालिग, निवासी डाल, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्री रमेश पिता देवा बलाई (सालवी), उम्र बालिग, निवासी डाल, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

दिनांक :30/09/2024

उपस्थितिः श्री नारायणसिंह चूण्डावत – अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गोपाल चौबिसा – अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 4
पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की मौझा डाल पटवार हल्का डाल तहसील सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर के खाता संख्या नया 332 पुराना 325 आराजी नम्बर 262/3 रकबा 0.80 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के दक्षिणी छोर पर विपक्षीगण सं 2 से 4 की आराजी न. 262 रकबा 0.05 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से 4 की दक्षिणी सीमा मौके पर एक ही हो पास पास स्थित है। नक्शे में प्रार्थीगण के आराजी नं. 262/3 रकबा 0.80 हैक्टेयर होने से सेग्रीगेशन यानि ऑनलाईन की प्रक्रिया के दौरान सेवन से या गलती से या त्रुटी से प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व रकबा 0.80 हैक्टेयर अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं कर विपक्षीगण का रकबा मात्र 0.05 हैक्टेयर होने के बावजुद आ.नं. 262 को नक्शे में बड़ा बता पुरे नक्शें में 262 विपक्षी का दर्शा दिया है जबकि वहां पर न तो विपक्षीगण का कभी भी कब्जा ही रहा है न ही वर्तमान में भी कब्जा स्थित है। उसके बावजुद प्रार्थीगण के खाते आराजी नं. की भूमि 262/3 रकबा 0.80 हेक्टेयर को वर्तमान नक्शों में छोटा दर्शा दिया है जो सर्वथा गलत हो त्रुटी भरा है जो सही नहीं है एवं व्यवहारिक भी नहीं है क्योंकि वर्तमान में आराजी नं. 262 में रकबा मात्र 0.05 हे. भूमि स्थित हैं तथा प्रार्थीगण की आराजी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नं. 262/3 रकबा 0.80 हे. स्थित है जिससे प्रार्थीगण की भूमि को नक्शे में कम दर्शा भारी त्रुटी व भुल की है, जिसे कभी भी आप न्यायालय से इन्द्राज दुरस्ती नक्शे में शुद्धि कराई जा सकने के कारण नक्शें में मौके अनुसार एवं काबिज अनुसार प्रार्थीगण की खतिदारी कृषि भूमि रकबा 0.80 हे. को वास्तविक रूप से मौके पर कब्जे अनुसार नक्शें में दुरस्ती की जानी आवश्यक होने से विपक्षीगण के आराजी नं. 262 के नक्शे में विपक्षी की मात्र कबा 0.05 हेक्टर कृषि भूमि जो दक्षिण दिशा में काबिज है उसे उसकी भूमि मौके पर नपति कर उतनी ही भूमि नये वर्तमान नक्शें में तरमीम की जानी आवश्यक होने से आराजी नं. 262 में से नये नक्शें में से भूमि कमी कर उक्त भूमि आराजी नं. 262/3 की होने से प्रार्थीगण की आराजी नं. 262/3 रकबा 0.80 हेक्टर भूमि का नक्शें में वास्तविक रूप से नये नक्शे में तरमीम कराया जाना आवश्यक होने से यह ईन्द्राज दुरस्ती नक्शा में के लिये यह ईन्द्राज दुरस्ती नक्शा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थी ने आज से 3 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण के खाते की भूमि की पत्थरगढी कराने का आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे आप न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पत्थरगढी का आदेश जारी किया था जिस पर नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने पर जब हल्का पटवारी साहब एवं नायब तहसीलदार सा. मोके पर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस लेकर मौके पर आये तो उन्होंने सीमा ज्ञान की जानकारी दी कि तुम्हारी भूमि वर्तमान नक्शे अनुसार नक्शे में कम है व तुम्हारे पडौसी यानि विपक्षीगण के नक्शे में ज्यादा होने व पत्थरगढी नहीं करने एवं उनके द्वारा मौखिक तौर पर यह बताया कि जब तक नक्शा ट्रेस में ईन्दाज दुरस्ती व शुद्धि नहीं करायी जाती तब तक पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं है एवं हम अपने स्तर पर ठीक नहीं कर सकते है जिससे तभी से वाद कारण उत्पन्न होकर एवं राजस्व रिकार्ड में वर्तमान नक्शा ट्रेस देखने व अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान नक्शें में भारी त्रुटी व गलती है जिसे आप माननीय न्यायालय से उक्त गलती, त्रुटी व भुल को जरिये ईन्द्राज दुरस्ती से दुरस्त कराया जा सकता है जिससे यह ईन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की मौझा डाल पटवार हल्का डाल तह. सलुम्बर में स्थित वर्तमान आराजी नं. 262/3 रकबा 0.80 हे. भूमि को विपक्षीगण की आराजी नं. 262 रकबा 0.05 हेक्टर भूमि खाते होने से वर्तमान जारी नक्शा ट्रेस में रकबे अनुसार नक्शे में आराजी तरमीम नहीं हो गलत तमीम होने से रकबे अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार विपक्षीगण के आराजी नं. 262 के वर्तमान नक्शें में कमी कर प्रार्थीगण के जो पुराना सही नक्शा ट्रेस है उस अनुसार आराजी नं. 262/3 रकबा 0.80 हे. को नक्शे में ईन्द्राज दुरस्ती शुद्धि किया जाना आवश्यक होने से वर्तमान नक्शे में ईन्द्राज दुरस्ती किये जाने का आदेश जारी फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल चौबिसा हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमी होना निर्विवाद है। प्रार्थना पत्र की कम संख्या 02 में वर्णित मात्र यह ईबारत स्वीकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 262/3 रकबा 0.80 हेक्टर भूमी होना स्वीकार है लेकिन यह इबारत स्वीकार नहीं कि विपक्षीगण 2 से 4 की मात्र 0.05 हेक्टर कृषि भूमी हो बल्कि विपक्षीगण संख्या 2 से 4 की आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 हेक्टर के पास एक चक में आज भी मौके पर अन्य खातेदारी कृषि भूमी जिसके आराजी नम्बर 274, 261, 260, 259 विपक्षी 2 से 4 के खातेदारी की एवं अन्य भूमी कब्जे काश्त की पिता के समय की चारो तरफ से कच्चे पत्थरो की बाड के मध्य सम्पूर्ण कृषि भूमि आज भी स्थित है। विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 की कृषि भूमी आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 हेक्टर राज. वाद संख्या 5/2012 अनवान मांगीलाल बनाम सरकार फैसल दिनांक 05–10–2012 होकर इन्द्राज दुरस्ती से डिक्री से खातेदारी में दर्ज हुई है और विपक्षीगण

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

संख्या 2, 3, 4 शुरू से ही अपने पिता देवा पिता पदमा बलाई के समय तीनो भाईयों का साबिक आराजी एलोट हुई थी जो साबिक आराजी नम्बर 2 मीन से बनी पर काबिज थे जो कुलिया भूमि 2 मीन से बनी 4 बीघा 17 बिस्वा भूमी थी जिसको सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बाद में बिलानाम कर दी। पुनः विपक्षीगणों ने अपने खाते कराने का माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर जिससे 0.05 हेक्टर डिक्री से अपने खाते दर्ज कराई बाकी भूमि 0.99 हेक्टर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई थी आज खातेदारी में है, जो विपक्षीगण अपने पिता के समय से करीबन 100 वर्षो से मौके पर रकबा 0.05 हेक्टर पर आज तक काबिज काश्त करते चले आ रहे थे, और आज भी आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर जहाँ पहले से काबिज थे वही पर काबिज है शेष भूमि 0.99 हेक्टर गैर खातेदारी दर्ज हुई जो आज खातेदारी मे दर्ज है । प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 262/3 में आज तक जो आराजी नम्बर 262 विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 का वर्षो से आज तक शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। अगर प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 262/3 बिना कब्जे के नक्शे में दर्ज कर खाते कर दिया है तो प्रार्थीगण का खाता और नक्शा खारिज किया जावें क्योंकि मौके पर विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 बैठे है एंव इस 136 एल.आर.एक्ट. के प्रार्थना पत्र से प्रार्थीगण नक्षा दुरस्त कराने का भी अधिकारी नही है।

प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 3 में बतलाये पुराने एंव हाल आराजी नम्बर जो साबिक नम्बर 2 मीन से बना है जिसका कुलिया पुराना रकबा 1.17 हेक्टर था जिसमें से प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 262/3 रकबा 0.80 हेक्टर प्रार्थीगण की भूमी है एंवम अन्य भूमी आराजी नम्बर 262/1, 262/2 जो आबादी भूमी है जिसका कुलिया रकबा 0.14 हेक्टर जो श्री हिरालाल पिता सोहन लाल जैन ने आबादी कराई एंवम आराजी नम्बर 5397/262 रकबा 0.14 हेक्टर जो आबादी श्रीमती रीटा पत्नी रोशनलाल ब्राहम्ण ने कराई एंवम आराजी नम्बर 5698/262 रकबा 0.02 हेक्टर श्री भंवरलाल जैन पिता भेरूलाल जैन ने आबादी कराई एवं विपक्षीगण 2 से 4 आराजी नम्बर 262 मे से 0.5 हेक्टर कुल भूमी 0.80 + 0.14 + 0.14 + 0.02 + 0.05 कुल 1.15 हेक्टर भूमी बनती है, जिसमे प्रार्थीगण मौके पर कहाँ बैठे है इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो से रकबे का पता नहीं चलता है तथा श्री हिरालाल पिता सोहनलाल जैन श्रीमती रीटा पत्नी रोशनलाल ब्राहम्ण एंवम श्री भंवरलाल पिता भेरूलाल जैन को न तो पक्षकार बनाया है बल्कि ये सभी आराजी नम्बर 262 के खातेदार है इन्हे पक्षकार बनाये बिना एंव सुने बगैर प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही हो सकता है। जिसमे प्रार्थी स्वंय बता नही पा रहा है कि यह गलती हुई है या त्रुटि है जो केसे हुई है जब तक प्रार्थी अपना पुराना ट्रेस जंहाँ त्रुटी हुई है जो पेश नहीं करता है जब तक प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आराजी नम्बर 262 कुल रकबा 0.30 हेक्टर भूमी जो आबादी में दर्ज है उक्त भूमी आबादी की होने से आप न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता इसलिये इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार नही है इसलिये भी यह प्रार्थना पत्र नक्षा दुरस्ती कराने का काबिल निरस्त है। प्रार्थना पत्र की कम संख्या 6 अस्वीकार है प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से उक्त राजस्व रेकार्ड में बिना घोषणा का याद एंवम अन्य खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना किसी प्रकार की इन्द्राज दुरस्ती कराने का अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

विपक्षी संख्या 2 से 4 तक ने विशेष कथन कर अंकित किया कि जब तक प्रार्थीगण मुल राजस्व वाद राज काश्त.अधि. के साथ में घोषणा कराने का वाद पेश नहीं करते तब तक बिना कब्जे के 136 भू राजस्व अधिनियम में स्थाई /अस्थाई निषेधाज्ञा की दाद प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण अगर खातेदार है तो वे स्थाई /अस्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व वाद भी ला सकते है नक्शे की रिलिफ इसमें ले सकते थे, लेकिन कब्जा नही होने के कारण न्यायालय के समक्ष 136 भू.राज.अधि. का प्रार्थना पत्र लगाकर अंतरिम निषेधाज्ञा ले ली थी जो विधिक नहीं है भी। वादग्रस्त आराजी नम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

261/1, 262/2, 5397/262, 5398/262 सभी आबादी भूमि है इसलिये श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के है। उक्त प्रार्थना पत्र में यह कही पता नही लग रहा है उक्त नक्षा की सेग्रीगेशन के दौरान त्रुटि हुई है या इस प्रकार का कोई नक्षा न्यायालय में पहले प्रार्थीगण को तरमीम किया हो इस प्रकार का नक्षा पत्रावली में पेश नही किया है और अगर कोई इन्द्राज दुरस्ती 136 में करानी हो तो पक्षकारों की आपसी सहमति हो तो ही दुरस्त हो सकती है, बिना सहमति के दुरस्ती करना मुशकिल होता है इसलिये भी यह प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 को प्रार्थना पत्र का व्यय दिलाया जावें ।

प्रकरण मे तहसीलदार सलूम्बर के पत्रांक 397 दिनांक 04–07–2024 द्वारा रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार मोजा डाल का आ.न–262 का कुल रकबा 1.15 हेक्टेयर था जिसमे से शुद्धि, आवंटन व बंटवाडा द्वारा आराजी नम्बर 262/3 रकबा 0.80 हेक्टेयर, 262/3 0.80 हेक्टेयर, 262 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 262/1 रकबा 0.05 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 262/02 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 5397/262 रकबा 0.14 है०, आराजी नम्बर 5393/262 रकबा 0.02 हैक्टेयर बने। वर्तमान में उक्त आराजी के निम्न खातेदार राजस्व रेकार्ड अनुसार हैं–

1. आ.नं. 5398/262 रकबा 0.02 है० किस्म आबादी खा.स 214 से भंवरलाल पुत्र भैरूलाल जैन निवासी 51–52 रोशननगर सवीना उदयपुर खातेदार
2. आ.न. 5397/262 रकबा 0.14 है० किस्म आबादी खा.सं. 297 से रीटा पत्नी रोशनलाल ब्राम्हण सा तितरडी खातेदार
3. आ.न. 262/1 रकबा 0.05 है०, किस्म आबादी 262/2 रकबा 0.09 हे० किस्म आबादी किता 2 रकबा 0.14 है० खा.स. 379 से हीरालाल पुत्र सोहनलाल जैन निवासी 3 बी शिवाजी नगर उदयपुर खातेदार
4. आ.नं. 262 रकबा 0.05 है० किस्म मगरी किशनलाल मागीलाल रमेश पिता देवा जाति बलाई खातेदार
5. आ.नं. 262/3 रकबा 0.80 है० किस्म मगरी शंकर शिवराम पुत्र वेला बलाई सा.दे. खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थी श्री शंकर शिवराम पिता वेला बलाई का वर्तमान में कुल रकबा 0.80 है। जिसमें से आ.नं. 262/1, 262/2, 5397/262, 5398/262 कुल किता 4 रकबा 0.30 हैक्टेयर (वर्तमान अनुसार) पर है। प्रार्थी की आ.न. 262/3 रकबा 0.80 है०वर्तमान नक्शे में मात्र 0.05 हे. का बताया गया है। जिस पर वर्तमान में किशनलाल मांगीलाल रमेश पिता देवा बलाई का मकान बना हुआ है। व आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 हे वर्तमान नक्श में 0.80 है० का है। जिस पर प्रार्थी श्री शंकर शिवराम पिता वेला बलाई का 0.60 हैक्टेयर पर कब्जा है व शेष 0.20 हैक्टेयर पर किशनलाल मांगीलाल रमेश पिता देवा बलाई का कब्जा है। अतः वर्तमान राजस्व नक्शे में 262/3 रकबा 0.80 हे. की जगह आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 हैक्टेयर खातेदार श्री किशनलाल मांगीलाल रमेश पिता देवा बलाई व आ. न. 262 रकबा 0.05 की जगह आ.नं. 262/3 रकबा 0.80 हे० खातेदार श्री शंकर शिवराम पिता वेला बलाई के किया जाना उचित है।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो का दोहराया एवं निवेदन किया कि मेरा आराजी नम्बर 262 राजस्व रेकार्ड मे 0.80 हैक्टेयर है। लेकिन नक्शे मे मेरे 0.05 हैक्टेयर अंकित कर रखा है मेरा कब्जा 0.80 हैक्टेयर पर है नक्शे मे मेरा कब्जा 262 पर है तथा सभी विपक्षीगण का कब्जा 262/3 पर है जहां ये बैठे है वहा मुझे नक्शे मे फिट कर दिया व जहां मै बेठा हू वहा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नक्शे मे इनको फिट कर दिया है। विपपक्षी शुरू से 5 एयर की डिक्री होल्डर है तो इनको पांच एयर ही दी जानी है। मे प्रारम्भ से 80 एयर का खातेदार हूँ अधिकार नही है।

अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 4 ने बहस मे कथन किया कि आराजी नम्बर 262 मे 30 एयर भूमि आबादी हो चूकी है जिनको पक्षकार नहीं बनाया है। कमिश्नरी रिपोर्ट मे इनका मौके पर कब्जा 60 एयर पर ही है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। ये बाद मे तरमीम करवा कर आये है तथा इनको 212 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इन्होंने कोई पुराना नक्शा नही पेश किया इसलिये 136 भी खारिज किया जावे। ये घोषणा का वाद पेश करे लेकिन 136 मे उक्त दाद नही प्राप्त कर सकते है। इनकी बाउॅडरी भी 60 एयर पर बनी है। 20 एयर भूमि आबादी दर्ज हो चुकी है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। मौजा डाल पटवार हल्का डाल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खांता सं. 332 आराजी नम्बर 262/3 रकबा 0.80 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खाते दर्ज अंकित है। तथा जमाबंदी खाता संख्या 486 आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज अंकित है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आ. नं. 262/3 रकबा 0.80 है०वर्तमान नक्शे में मात्र 0.05 हे. का बताया गया है। जिस पर वर्तमान में किशनलाल मांगीलाल रमेश पिता देवा बलाई का मकान बना हुआ है। हाल नक्शे मे आराजी नम्बर एवं रकबा गलत अंकित होना प्रतीत होता है। विपक्षीगण ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि न्यायालय डिक्री से दर्ज हुई है जो हाल जमाबंदी मे दर्ज अंकित है। जिससे हाल राजस्व जमाबंदी मे दर्ज आराजी एवं रकबा का अंकन हाल नक्शे मे त्रुटीपूर्ण होना जाहिर होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा डाल पटवार हल्का डाल भू.अ.नि. सलूम्बर के वर्तमान राजस्व नक्शे में 262/3 रकबा 0.80 हैक्टेयर की जगह आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 262 रकबा 0.05 की जगह आ.नं. 262/3 रकबा 0.80 हैक्टेयर शुद्धि कर हाल नक्शे मे पैमुद किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 30/09/2024 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर • सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला- सलूम्बर
जिला सलूम्बर